आर0 सी0 प्रपत्र-19

(नियम-66)

सहायक कलेक्टर को भूखण्ड के सम्बन्ध में धारा 67(1) द्वारा आपेक्षित सूचना भूखण्ड संख्या..... क्षेत्रफल.....ग्राम..... तहसील....., जिला – इटावा

सेवा,

सहायक कलेक्टर/ तहसीलदार

तहसील -.....जिला- इटावा

महोदय,

श्री..... पुत्र.....निवासी ग्राम..... परगना व तहसील....., जिला ग्राम पंचायत / स्थानीय प्राधिकारी को प्रदान भूमि जिसका विवरण नीचे दिया गया है को अवैध रूप से अध्यासन किया गया है या नुक़सान दुर्विनियोजन कारित किया या कारित कर रहा है।

1- भूखंड संख्या : .....

2- ग्राम : .....

3- तहसील : .....

4- भूखण्ड का क्षेत्रफल : .....

5- नुकसान / दुर्विनियोजन / अवैध अध्यासन का विवरण : .....

6- अवैध अध्यासन का वर्ष : .....

7- कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार अगणित

संपत्ति का बाज़ारू मूल्य : .....

8- दावाकृत नुकसानी : .....

अतः आपसे निवेदन आई की उपरोक्त अवैध अध्यासी के विरुद्ध नुकसानी / प्रतिकार की वसूली के सम्बन्ध में और अवैध अध्यासी की बेदख़ली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक-

नज़री नक़्शा :-

भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष /

सदस्य / सचिव / अन्य सदस्य